

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 — श्रावण 27, शक 1941

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(7). — छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क. 5 सन् 2013) की धारा 29 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
“2.	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान	1 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 10 कि.ग्रा. प्रति माह 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 20 कि.ग्रा. प्रति माह 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 35 कि.ग्रा. प्रति माह 5 सदस्य से अधिक वाले राशन कार्ड में प्रति सदस्य 7 कि.ग्रा. प्रति माह	रु. 1 प्रति कि ग्रा.
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान	1 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 10 कि.ग्रा. प्रति माह 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 20 कि.ग्रा. प्रति माह 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिये - 35 कि.ग्रा. प्रति माह	रु. 10 प्रति कि ग्रा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29-1(7). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Act,-

In Schedule-I, for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Type of household	Food items	Monthly entitlement	Consumer price
"2.	Priority household	Food grain	Ration card for 1 member - 10 kg per month Ration card for 2 members - 20 kg per month Ration card for 3 to 5 members - 35 kg per month 7 kg per member per month in cards having more than 5 members	Rs. 1 per kg.
3.	General household	Food grain	Ration card for 1 member - 10 kg per month Ration card for 2 members - 20 kg per month Ration card for 3 or more than 3 members - 35 kg per month.	Rs. 10 per kg."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.